कार्यालय जिला कलक्टर, सलूम्बर(राज0)

क्रमांकः— प.39/1( )गै.व.प्र./2022/562-567 दिनांकः 9/6/25

—:संशोधित आदेशः—

उपखण्ड अधिकारी लसाडिया के पत्रांक 2048 दिनांक 19.09.2023 द्वारा धरियावाद—लसाडिया सडक सुदृढीकरण एवं चौडाईकरण कार्य हेतू पूर्व में वन विभाग की आवंटित भूमि 17.1270 हैक्टयर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व ग्राम टेकण, पटवार हल्का टेकण, तहसील लसाडिया के आराजी संख्या 2622 रकबा 54.6804 हैक्टयर, किस्म मगरी बिलानाम गैर काबित काश्त में से 17.1270 हैक्टयर भूमि को वन विभाग के पक्ष में आरक्षित/हस्तान्तरण(Setapart) की गयी।

अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सलूम्बर के पत्रांक 273 दिनांक 27.05.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सडक के प्रकरण को विभाग द्वारा परिवेश वेब पोर्टल पर अग्रिम कार्यवाही हेतु अपलोड करने पर प्रकरण में उप वन संरक्षक प्रतापगढ द्वारा गैर वन भूमि की वास्तविक गणना करने पर गैर वन भूमि 17.1315 हैक्टयर पायी गयी एवं वास्तविक गैर वन भूमि गणना अनुसार 17.1315 हैक्टयर भूमि उपलब्ध करवाने हेतु EDS जनरेट किया गया जिस कम में प्रकरण में पूर्व में आवंटित गैर वन भूमि में आंशिक संशोधन कर वास्तविक गैर वन भूमि 17.1315 हैक्टयर भूमि उपलब्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

उक्त कम में उपखण्ड अधिकारी लसाडिया के पत्रांक संख्या 739 दिनांक 14.08.2024 से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के आधार पर राजस्व ग्राम टेकण, पटवार मण्डल टेकण, तहसील लसाडिया, के आराजी संख्या 2622 रकबा 54.6804 हैक्टयर, किस्म मगरी बिलानाम गैर काबित काश्त भूमि में से पूर्व में आवंटित 17.1270 हैक्टयर भूमि के स्थान पर 17.1315 हैक्टयर भूमि को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत वन विभाग के पक्ष में आरक्षित/हस्तान्तरण की जाती है।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
सलूम्बर

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उपवन संरक्षक सलूम्बर/प्रतापगढ।
2. उपखण्ड अधिकारी, लसाडिया।
3. तहसीलदार लसाडिया को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश द्वारा आरक्षित की गई भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करने के साथ—साथ नक्शें में आवश्यक तरमीमं करे।
4. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सलूम्बर।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
सलूम्बर

Scanned with OKEN Scanner